


अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम औसिया

तखतसिंह वगैरा बनाम अमानसिंह वगैरा

किस्म मुकदमा विविधि प्रार्थना पत्र नम्बर 19/2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल मे जारी हुए
12/10/2020	<p>पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण उपस्थित प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व मे एक पक्षीय है तहसीलदार औसिया से दोनो पक्षो को सूचित कर बन्टवारा प्रस्ताव पेश हुए जिन्हे सामिल मिसल किये गये । वकील वादीगण को बन्टवारा प्रस्ताव पर सुना गया वकील वादीगण का कथन है कि दोनो पक्ष को सूचित करके कब्जे काश्त के अनुसार बन्टवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है । जिसे स्वीकार नही करने का कोई कारण नही हे इसलिए न्यायहित मे बन्टवारा प्रस्ताव स्वीकार किये जाकर अन्तिम डिक्री जारी जावे ।</p> <p>हमने पत्रावली व बन्टवारा प्रस्ताव का अवलोकर किया बन्टवारा प्रस्ताव व राजस्व रेकर्ड व हक हिस्से तथा कब्जे काश्त के अनुसार तैयार किया जाना प्रतीत होता है । अतः बन्टवारा प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर वादीगण भवंरसिंह ,दौलतसिंह, सांगसिंह, रूगनाथसिंह पी.लाबूसिंह, हीरा कवंर पत्नि लाबूसिंह, के 1/3 हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 391 रकबा 39 बीघा 6 बीस्वा भूमि हिस्से मे व खुशालसिंह 1/4 जसवंतसिंह ,तखतसिंह 3/4 हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 391/2 रकबा 39 बीघा 6 बीस्वा भूमि तथा अमानसिंह, पेंपसिंह,उम्मेदसिंह, दीपसिंह,नारायणसिंह पी.बाबुसिंह, लालकवंर पत्नि श्री बाबुसिंह राजपूत सा.देह मे खसरा नम्बर 391/1 रकबा 39 बीघा 6 बीस्वा भूमि एवं भवंरसिंह, दौलतसिंह, सांगसिंह, रूगनाथसिंह, पी. लाबुसिंह, हीरा कवंर पत्नि श्री लाबुसिंह , 1/3, खुशालसिंह, जसवन्तसिंह, तखतसिंह पी. सोनसिंह, 1/3 अमानसिंह, पेंपतसिंह, उम्मेदसिंह, दीपसिंह , नारायणसिंह पी. बाबुसिंह, लाल कवंर पत्नि श्री बाबुसिंह 1/3 जाति राजपूत सा.देह खातेदार खसरा नम्बर 391/3 रकबा 1 बीघा 1 बीस्वा (रास्ता प्रयोजनार्थ) भूमि का बन्टवाडा प्रस्ताव व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जावे व स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण के हिस्से की विभाजित भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, न ही किसी से करावे तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बन्टवारा प्रस्ताव को इस डिक्री का भाग समझा जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी किया जावे । प्रतिवादी संख्या 7 तहसीलदार औसिया डिक्री की पालना सुनिश्चित करे पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दप्तर हो ।</p>	


 तखतसिंह वगैरा बनाम अमानसिंह वगैरा

डिकी व मुकदमे इब्बदाई
(ऑर्डर 21 रूल 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
(सिविल प्रोसेडुर कोड एपीडिक्स डी-1)

अज अदालत -सहायक कलेक्टर औसिया ।
बड़जलास -रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 तखतसिंह पुत्र श्री सोनसिंह		1 अमानसिंह पुत्र श्री बाबुसिंह
2 कुशालसिंह पुत्र श्री सोनसिंह		2 पेंपसिंह पुत्र श्री बाबुसिंह
3 जसवन्तसिंह पुत्र श्री सोनसिंह		3 उम्मेदसिंह पुत्र श्री बाबुसिंह
4 भवंरसिंह पुत्र श्री लाबुसिंह		4 दीपसिंह पुत्र श्री बाबुसिंह
5 दौलतसिंह पुत्र श्री लाबुसिंह		5 नारायणसिंह पुत्र श्री बाबुसिंह
6 सांगसिंह पुत्र श्री लाबुसिंह		6 लाल कवंर पत्नि श्री बाबुसिंह जाति रावणा
7 रूगनाथसिंह पुत्र श्री लाबुसिंह		राजपूत निवासी भीमसागर तहसील
8 हीरा कवंर पत्नि श्री लाबुसिंह		औसिया जिला जोधपुर ।
जाति रावणा राजपूत निवासी भीमसागर		
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।		7 श्री तहसीलदार, औसिया ।

मुकदमा नम्बर 19/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू पक्षकार बहाजरी श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं मिन जानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम भीमसागर के खसरा नम्बर 391 रकबा 118 बीघा 19 बीस्वा भूमि का बन्तवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। वादीगण भवंरसिंह, दौलतसिंह, सांगसिंह, रूगनाथसिंह पी.लाबूसिंह, हीरा कवंर पत्नि लाबूसिंह, के 1/3 हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 391 रकबा 39 बीघा 6 बीस्वा भूमि हिस्से मे व खुशालसिंह 1/4 जसवन्तसिंह, तखतसिंह 3/4 हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 391/2 रकबा 39 बीघा 6 बीस्वा भूमि तथा अमानसिंह, पेंपसिंह, उम्मेदसिंह, दीपसिंह, नारायणसिंह पी.बाबुसिंह, लालकवंर पत्नि श्री बाबुसिंह राजपूत सा.देह मे खसरा नम्बर 391/1 रकबा 39 बीघा 6 बीस्वा भूमि एवं भवंरसिंह, दौलतसिंह, सांगसिंह, रूगनाथसिंह, पी.लाबुसिंह, हीरा कवंर पत्नि श्री लाबुसिंह, 1/3, खुशालसिंह, जसवन्तसिंह, तखतसिंह पी. सोनसिंह, 1/3 अमानसिंह, पेंपसिंह, उम्मेदसिंह, दीपसिंह, नारायणसिंह पी. बाबुसिंह, लाल कवंर पत्नि श्री बाबुसिंह 1/3 जाति राजपूत सा.देह खातेदार खसरा नम्बर 391/3 रकबा 1 बीघा 1 बीस्वा (रास्ता प्रयोजनार्थ) भूमि का बन्तवाडा प्रस्ताव व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जावे व स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण के हिस्से की विभाजित भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न ही किसी से करावे तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बन्तवारा प्रस्ताव को इस डिकी का भाग समझा जावे। वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करे, उपरोक्त अनुसार अन्तिम डिकी जारी की जाती है।

बसबूत मैरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12/10/2020 को जारी की गई ।

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलाह	रूपये	पैसे
अर्जी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहताना वकील खर्चा गवाह मौका कमिश्नर जनाब इजराह हुक्मनामा अन्य			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराह हुक्मनामा मुदफरीक		
योग			योग		

नोट पक्षा खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये ।

सहायक कलेक्टर औसिया